

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

थी

लेजा

विपक्षी


चेनशंकर

कैसम मुकदमा

७१६

पत्रावली संख्या

१६६/०६ सन्

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>०२/१२/२२</p> <p>आज दिनांक की वार एसोसियेशन मावली में कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया। अतः पत्रावली पूर्व आदेशनुसार दिनांक.... १६/०१/२३.....को पेश हो।</p>	
	<p>१६/०१/२३</p> <p>वकूलाय कादी/परिल्यापी उप./ वा. कामती</p> <p>के लिये मौका उपलब्ध है। अतः..... ५५</p> <p>अवसर दिया जाकर पत्रावली दि. २०/०१/२३</p> <p>को पेश हो।</p> <p>SDO मावली</p>	
	<p>२०/०२/२३</p> <p>आज दिनांक की वार एसोसियेशन मावली में कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया। अतः पत्रावली पूर्व आदेशनुसार दिनांक.... २७/०४/२३.....को पेश हो।</p>	
	<p>२०/४/२३</p> <p>पत्रावली तलाश की गई। "प्रशासन गांवों के संग अभियान-२०२३" आयोजित किया जाने से पत्रावली में अधिवक्ता पक्षकारान को सूचित किया जाकर पत्रावली कैम्प भीमत</p> <p>दिनांक ८/५/२३ को पेश हो।</p> <p>सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	
	<p>८/५/२३</p> <p>पत्रावली आज कैम्प में पेश हुई। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजी-नामा नहीं हो पाया। अतः पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में न्यायालय हाजा में दिनांक-२०/७/२३ को पेश हो।</p> <p>सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

20/7/23

वकुलाय वादी / प्रतिवादी उप.

वा. शुक्ला

के लिये मौका चाहते हैं। अतः

क. २५

अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 25/08/23

को पेश हो।

✓

SDO मावली

25/8/23

वकुलाय वादी / प्रतिवादी उप.

वा. शुक्ला

के लिये मौका चाहते हैं। अतः

क. १३

अवसर दिया जाकर

13/10/23

को पेश हो।

SDO मावली

26/9/23

पत्रावली अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा शीघ्र सुनवाई का आ.पत्र पेश करने पर पेश हुई। अधिवक्ता वादी द्वारा शीघ्र सुनवाई लिये जाने के प्रार्थना पत्र No 100/2023/अध कर अहमति व्यक्त की। अतः शीघ्र सुनवाई का आ.पत्र भीकार किया जाता है। अधिवक्ता वादीगण मध्य वादीगण को आवाजे दिलवाई गई। समय सांघ 5:00 PM हो चुका है, अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादीगण मध्य वादीगण अनुपस्थित रहने पर वादीगण का वाद अहम लागू अहम फैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल सुमार लेकर नम्बर से कम डें।

निर्णय सुनाया गया।



अधिवक्ता कलक्टर
(SDO) मावली